

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक**  
(सुश्री रजनी मीणा आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या -  
निर्णय दिनांक-

93 / 2021  
16.06.2021

उनवान  
दशरथसिंह पुत्र गोकुलसिंह जाति राजपूत निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोक  
- प्रार्थी

बनाम  
तहसीलदार उनियारा जिला टोक  
- प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र 128 भू राजस्व अधिनियम  
उपस्थित:- श्री हरिराजसिंह वकील प्रार्थी

**निर्णय**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैं:-

यह कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 104 खसरा नम्बर 2114, 2118, 2120, 2121, 2122, 2838/2119 कुल किता 6 कुल रकबा 2.39 है वाके ग्राम फुलेता तहसील उनियारा जिला टोक में स्थित है। जिस पर प्रार्थी का निर्विघ्न एवं निर्विवाद रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी के पड़ोसी काश्तकारान द्वारा प्रार्थी को आए दिन परेशान करते हैं। जिससे आए दिन विवाद उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। उक्त आराजीयात की पत्थरगढी किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है क्योंकि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात की सीमाएं बिगडी हुई है। उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाकर सीमाये निर्धारित किया जाना आवश्यक हुआ है।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 104 खसरा नम्बर 2114, 2118, 2120, 2121, 2122, 2838/2119 कुल किता 6 कुल रकबा 2.39 है वाके ग्राम फुलेता तह0 उनियारा की पत्थरगढी कर सीमाये निर्धारित करने हेतु प्रतिपक्षी तहसीलदार उनियारा को आदेश फरमाया जावे।

उक्त प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी से जवाब लिया गया। प्रतिपक्षी तहसीलदार उनियारा को बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी के वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 104 खसरा नम्बर 2114,




29  
उप खण्ड अधिकारी  
उनियारा

2118, 2120, 2121, 2122, 2838/2119 कुल किता 6 कुल रकबा 2.39 है वाके ग्राम फुलेता तह0 उनियारा देह खातेदार दर्ज है। उक्त आराजी पर विवाद की संभावना के मध्य नजर पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने की वैधानिक अधिकारी है। उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी की खातेदारी की उक्त वर्णित आराजी की पत्थरगढी करवाया जाना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेश दिया जाता है कि खाता संख्या 104 खसरा नम्बर 2114, 2118, 2120, 2121, 2122, 2838/2119 कुल किता 6 कुल रकबा 2.39 है वाके ग्राम फुलेता तह0 उनियारा का प्रार्थी से नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करें। फरीकेन खर्चा अपना अपना वहन करे। पालनार्थ तहसीलदार उनियारा को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट पेश करें।

यह निर्णय आज दिनांक 16.06.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



  
सुश्री रजनी मीणा  
(आर ए एस.)  
उपखण्ड अधिकारी उनियारा  
जिला टोंक